



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]
No. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2009/कार्तिक 1, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2009/KARTIKA 1, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2009

सं. एल-7/143/158/2008-केविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस विभिन्न सामर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तों) विनियम, 2009, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तों) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 7 का संशोधन** : मूल विनियमों के विनियम 7 के खंड (थ) में, "या अंतरा-राज्यिक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. **विनियम 9 का संशोधन** : मूल विनियमों के विनियम 9 के खंड (ख) में, "अंतरा-राज्यिक व्यापार" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. **प्ररूपों का संशोधन** : मूल विनियमों से संलग्न प्ररूप IV-क, IV-ख और IV-ग को इन विनियमों से संलग्न क्रमशः प्ररूप IV-क, IV-ख और IV-ग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गये थे और भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, तारीख 2-6-2009 में प्रकाशित केंद्रीय विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तों) (संशोधन) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार संशोधित किए गए थे।

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (आरटीसी*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं० तथा तारीख) :

मास :

क्र०स०	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से तक)	संव्यवहार का समय, घंटे (से तक)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु०)	विक्रय कीमत (रु०)	व्यापार मार्जिन (रु०)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* आरटीसी रात-दिन

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एकसलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा कीमत (व्यस्ततम*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं० तथा तारीख) :

मास :

क्र०स०	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से तक)	संव्यवहार का समय, घंटे (से तक)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (₹)	विक्रय कीमत (₹)	व्यापार मार्जिन (₹)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* 17.00 से 23.00 बजे तक सायंकालीन/व्यस्ततम अवधि आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कौटिल ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (व्यस्ततम तथा आरटीसी से भिन्न)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं० तथा तारीख) :

मास :

क्र०स०	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से)	संव्यवहार का समय, घंटे (से)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (₹)	विक्रय कीमत (₹)	व्यापार मार्जिन (₹)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2009

No. L-7/143/158/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely :—

1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 7: In clause (p) of Regulation 7 of the principal regulations the words "as well as intra-State" shall be omitted

3. Amendment of Regulation 9: In clause (b) of Regulation 9 of the principal regulations the words "intra-State trading" shall be omitted

4. Amendment to Forms: Forms IV-A, IV-B and IV-C appended to the principal regulations shall be substituted by the forms IV(A), IV(B) and IV(C) respectively appended to these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/Exty.]

Note

The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 dated 24.2.2009 and were amended in terms of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 dated 2.6.2009.

3831 9.7.09-2

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED BY TRADING LICENSEES (RTC*)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date): Month:

Sr.No	Period of transaction, Date (from-to)	Time of transaction, Hours	Actually Scheduled Volume	Purchased from		Sold to		Purchase Price (Rs)	Sale Price (Rs)	Trading Margin (Rs)	Remarks
				Name of the	State	Name of the	State				
Inter-State Trading Transactions											
1											
2											
Inter-State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
Transactions through Power Exchange											
1											
2											
Total											

*RTC: Round The Clock

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, consumer (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 10th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED BY TRADING LICENSEES (Peak*)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date): Month:

Sr.No	Period of transaction, Date (from-to)	Time of transaction, Hours	Actually Scheduled Volume	Purchased from		Sold to		Purchase Price (Rs)	Sale Price (Rs)	Trading Margin (Rs)	Remarks
				Name of the Seller	State	Name of the	State				
Inter-State Trading Transactions											
1											
5											
Inter-State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
Transactions through Power Exchange											
1											
Total											

* Evening Peak from 17.00 to 23.00. Peak period may be revised by the Commission from time to time

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, consumer (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 10th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail.

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED BY TRADING LICENSEES (Other than Peak & RTC)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date): Month:

Sr.No	Period of transaction, Date (from-to)	Time of transaction, Hours	Actually Scheduled Volume	Purchased from		Sold to		Purchase Price (Rs)	Sale Price (Rs)	Trading Margin (Rs)	Remarks
				Name of the Seller	State	Name of the	State				
Inter-State Trading Transactions											
1											
2											
Inter-State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
Transactions through Power Exchange											
1											
2											
Total											

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, consumer (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 10th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2009/कार्तिक 1, 1931

No. 197]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2009/KARTIKA 1, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2009

सं. एल-7/143/158/2008-केविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस विभिन्न सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 7 का संशोधन : मूल विनियमों के विनियम 7 के खंड (ध) में, "या अंतरा-राज्यिक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. विनियम 9 का संशोधन : मूल विनियमों के विनियम 9 के खंड (ख) में, "अंतरा-राज्यिक व्यापार" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. प्ररूपों का संशोधन : मूल विनियमों से संलग्न प्ररूप IV-क, IV-ख और IV-ग को इन विनियमों से संलग्न क्रमशः प्ररूप IV-क, IV-ख और IV-ग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गये थे और भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, तारीख 2-6-2009 में प्रकाशित केंद्रीय विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार संशोधित किए गए थे।

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (आरटीसी*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
 अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं० तथा तारीख) :
 मास :

क्र०स०	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से तक)	संव्यवहार का समय, घंटे (से तक)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु०)	विक्रय कीमत (रु०)	व्यापार मार्जिन (रु०)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* आरटीसी रात-दिन

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा कीमत (व्यस्ततम*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं० तथा तारीख) :

मास :

क्र०स०	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से तक)	संव्यवहार का समय, घंटे (से तक)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूपएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (₹)	विक्रय कीमत (₹)	व्यापार मार्जिन (₹)	टिप्पणिया
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* 17.00 से 23.00 बजे तक सायंकालीन/व्यस्ततम अवधि आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कौटिलि ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (व्यस्ततम तथा आरटीसी से भिन्न)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं० तथा तारीख) :

मास :

क्र०स०	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से)	संव्यवहार का समय, घंटे (से)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु०)	विक्रय कीमत (रु०)	व्यापार मार्जिन (रु०)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कौटिलि ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंग का नाम, कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2009

No. L-7/143/158/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely :—

1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 7: In clause (p) of Regulation 7 of the principal regulations the words "as well as intra-State" shall be omitted

3. Amendment of Regulation 9: In clause (b) of Regulation 9 of the principal regulations the words "intra-State trading" shall be omitted

4. Amendment to Forms: Forms IV-A, IV-B and IV-C appended to the principal regulations shall be substituted by the forms IV(A), IV(B) and IV(C) respectively appended to these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.
[ADVT III/4/150/Exty.]

Note

The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 dated 24.2.2009 and were amended in terms of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 dated 2.6.2009.

3831 9/10/09-2

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED BY TRADING LICENSEES (RTC*)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date): Month:

Sr.No	Period of transaction, Date (from-to)	Time of transaction, Hours	Actually Scheduled Volume	Purchased from		Sold to		Purchase Price (Rs)	Sale Price (Rs)	Trading Margin (Rs)	Remarks
				Name of the	State	Name of the	State				
Inter-State Trading Transactions											
1											
2											
Inter-State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
Transactions through Power Exchange											
1											
2											
Total											

*RTC: Round The Clock

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, consumer (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 10th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED BY TRADING LICENSEES (Peak*)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date): Month:

Sr.No	Period of transaction, Date (from-to)	Time of transaction, Hours	Actually Scheduled Volume	Purchased from		Sold to		Purchase Price (Rs)	Sale Price (Rs)	Trading Margin (Rs)	Remarks
				Name of the Seller	State	Name of the	State				
Inter-State Trading Transactions											
1											
5											
Inter-State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
Transactions through Power Exchange											
1											
Total											

* Evening Peak from 17.00 to 23.00. Peak period may be revised by the Commission from time to time

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, consumer (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 10th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail.

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

VOLUME AND PRICE OF ELECTRICITY TRADED BY TRADING LICENSEES (Other than Peak & RTC)

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date): Month:

Sr.No	Period of transaction, Date (from-to)	Time of transaction, Hours	Actually Scheduled Volume	Purchased from		Sold to		Purchase Price (Rs)	Sale Price (Rs)	Trading Margin (Rs)	Remarks
				Name of the Seller	State	Name of the	State				
Inter-State Trading Transactions											
1											
2											
Inter-State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement											
1											
2											
Transactions through Power Exchange											
1											
2											
Total											

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, consumer (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 10th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.